



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2017/फाल्गुन 26, 1938

No. 204]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2017/PHALGUNA 26, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 17 मार्च, 2017

सं. फेमा. 384/आरबी-2017

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा) (संशोधन) विनियमावली, 2017

सा.का.नि. 260(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 25/ आरबी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: —

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा) (संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 5 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा) विनियमावली, 2000, (दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 25/2000-आरबी), की अनुसूची 2 में जिसमें भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के लिए अनुमत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा के प्रावधानों का उल्लेख है, में निम्नलिखित पैरा 6 के बाद जोड़ा जाएगा:

कोई अनिवासी विनियम जोखिम के एक्सपोजर और अपने भारतीय अनुषंगी की ओर से उसके लेनदेन के संबंध में जिसके लिए फेमा 1999 के तहत विदेशी मुद्रा की बिक्री/या खरीद की अनुमति दी गई है और जो ऐसे नियम व शर्तों के अधीन है जैसा कि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, से सुरक्षित रहने के लिए भारत में किसी प्राधिकृत डीलर बैंक के साथ विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा कर सकता है।

[ फा. सं. 1/15/ईएम/2015]

टी. रवि शंकर, मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पणी :** मूल नियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि. सं. 411(अ), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई:

सा.का.नि. सं. 756(अ), दिनांक 28.09.2000,  
 सा.का.नि. सं. 264(अ), दिनांक 09.04.2002,  
 सा.का.नि. सं. 579(अ), दिनांक 19.08.2002,  
 सा.का.नि. सं. 222(अ), दिनांक 18.03.2003,  
 सा.का.नि. सं. 532(अ), दिनांक 09.07.2003,  
 सा.का.नि. सं. 880(अ), दिनांक 11.11.2003,  
 सा.का.नि. सं. 881(अ), दिनांक 11.11.2003,  
 सा.का.नि. सं. 750(अ), दिनांक 28.12.2005,  
 सा.का.नि. सं. 222(अ), दिनांक 19.04.2006,  
 सा.का.नि. सं. 223(अ), दिनांक 19.04.2006,  
 सा.का.नि. सं. 760(अ), दिनांक 07.12.2007,  
 सा.का.नि. सं. 577(अ), दिनांक 05.08.2008,  
 सा.का.नि. सं. 440(अ), दिनांक 23.06.2009,  
 सा.का.नि. सं. 895(अ), दिनांक 14.12.2009,  
 सा.का.नि. सं. 635(अ), दिनांक 27.07.2010,  
 सा.का.नि. सं. 608(अ), दिनांक 03.08.2012,  
 सा.का.नि. सं. 799(अ), दिनांक 30.10.2012,  
 सा.का.नि. सं. 330(अ), दिनांक 23.05.2013,  
 सा.का.नि. सं. 374(अ), दिनांक 02.06.2014,  
 सा.का.नि. सं. 365(अ), दिनांक 01.06.2016 and  
 सा.का.नि. सं. 378(अ), दिनांक 25.10.2016.

## RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulatory Department)

(CENTRAL OFFICE)

### NOTIFICATION

Mumbai, the 17th March, 2017

**No. FEMA. 384/RB-2017**

#### **Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2017**

**G.S.R. 260(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), namely:—

**1. Short Title and Commencement**

- (i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2017.
- (ii) They shall be come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment under Schedule II:** In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), in Schedule II, after the existing para 6, the following shall be added, namely:

A non-resident may enter into a foreign exchange derivative contract with an Authorised Dealer bank in India to hedge an exposure to exchange risk of and on behalf of its Indian subsidiary in respect of the said subsidiary's transactions subject to such terms and conditions as may be stipulated by the Reserve Bank from time to time.

[F. No. 1/15/EM/2015]

T. RABI SANKAR, Chief General Manager

**Footnote :** The principal regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 411(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide—

G.S.R. No. 756(E) dt. 28.09.2000,  
G.S.R. No. 264(E) dt. 09.04.2002,  
G.S.R. No. 579(E) dt. 19.08.2002,  
G.S.R. No. 222(E) dt. 18.03.2003,  
G.S.R. No. 532(E) dt. 09.07.2003,  
G.S.R. No. 880(E) dt. 11.11.2003,  
G.S.R. No. 881(E) dt. 11.11.2003,  
G.S.R. No. 750(E) dt. 28.12.2005,  
G.S.R. No. 222(E) dt. 19.04.2006,  
G.S.R. No. 223(E) dt. 19.04.2006,  
G.S.R. No. 760(E) dt. 07.12.2007,  
G.S.R. No. 577(E) dt. 05.08.2008,  
G.S.R. No. 440(E) dt. 23.06.2009,  
G.S.R. No. 895(E) dt. 14.12.2009,  
G.S.R. No. 635(E) dt. 27.07.2010,  
G.S.R. No. 608(E) dt. 03.08.2012,  
G.S.R. No. 799(E) dt. 30.10.2012,  
G.S.R. No. 330(E) dated 23.05.2013,  
G.S.R. No. 374(E) dated 02.06.2014,  
G.S.R. No. 365(E) dated 01.06.2016 and  
G.S.R. No. 378(E) dated 25.10.2016.